

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :- 36/2025

तारीख दायर :- 24.07.2025

तारीख फैसला :- 13.03.2026

1. श्रीमती शंकर उर्फ हीराबाई पत्नी श्री धूलिराम मीणा निवासी मेन रोड , लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)



प्रार्थी

बनाम

- 1 श्री सांवरीयालाल पुत्र हेमराज मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 2 श्री भवानी शंकर पुत्र तोलीराम मीणा निवासी गुढा, हाल निवासी मेन रोड कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 3 श्री अर्जुन पुत्र हिरा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 4 श्री दोला पुत्र हिरा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 5 श्री पप्पु पुत्र हिरा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 6 श्रीमती नाथडी पत्नी हिरा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 7 श्री कालु पुत्र उदा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 8 श्री रामेश्वर पुत्र उदा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 9 श्री लालचन्द पुत्र उदा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 10 श्री शंकर पुत्र उदा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 11 श्री दोलतराम पुत्र भेरा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 12 श्री नानुराम पुत्र भेरा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 13 श्रीमती देवली पत्नी भेरा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 14 श्री धर्मचन्द पुत्र पाला मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 15 श्री बाबरू पुत्र खरता मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

- 16 श्री राजींगा पुत्र खरता मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
 17 श्री रामा पुत्र हिरा मीणा निवासी मनावतपुरा ,कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
 18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब लसाडिया जिला सलुम्बर।
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट.

उपस्थिति - वादी की ओर से - अधिवक्ता श्री मुकेश चौबिसा

प्रतिवादी की ओर से - अनुपस्थित

:—निर्णय—:



प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या नया 202 पुराना 186 के आराजी संख्या 1662 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1755 रकबा 0.3672 किता 02 कुल रकबा 0.4968 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम मनावतपुरा पटवार हल्का कालीभीत भूअ. निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर में स्थित है। जो प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थी ने अपनी सीमा जानकारी अप्रार्थीगण की मौजूदगी में करा रखी है, फिर भी विपक्षीगण, प्रार्थी की सीमा के बारे में आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी सीमा आपस में मिली हुई है, इसलिये अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी की सीमाओं में घुसकर अतिक्रमण करने पर उतारू है, इसलिये उक्त आराजी भूमि पर अप्रार्थीगण व प्रार्थी के मध्य पत्थरगढी कराई जाकर डिमारकेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमादा है व प्रार्थी के उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिये पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाकु व झगडालु होकर प्रार्थी की जमीन को हडपने के लिये आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थी की फसल व घास का नुकसान करते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम लसाडिया ,ग्राम पंचायत कालीभीत पटवार हल्का कालीभीत के खाता संख्या नया 202 पुराना 186 के आराजी संख्या 1662 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1755 रकबा 0.3672 किता 02 कुल रकबा 0.4968 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब लसाडिया के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया का जवाब तलब किया गया। तहसीलदार लसाडिया द्वारा पेश जवाब में मौके पर सिमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करने के आदेश होने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की गई तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसने की कोशिश करते हैं। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। व पूर्व में सीमाजानकारी

उपस्थित अधिवक्ता
 लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

के दौरान मौके पर विवाद होने से सीमाजानकारी पूर्ण नहीं हो सकी । उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम मनावतपुरा पटवार क्षेत्र कालीभीत भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत की जमाबन्दी सम्बत् 2075-78 के के खाता संख्या नया 202 पुराना 186 के आराजी संख्या 1662 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1755 रकबा 0.3672 किता 02 कुल रकबा 0.4968 हैक्टेयर भूमि की मौके स्थल पर पत्थरगढी हेतु एक ट्रौली पत्थर की व्यवस्था प्रार्थी की रहेगी भूमि की दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नरी फीस 1000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा । पालनार्थ तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावे । पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों ।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(दिनेश आचार्य RAS)

उपखण्ड अधिकारी

लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)